अंतरिम बजट 2004-2005 की मुख्य विशेषतायें

बजट दृष्टिकोण

- जीवन की समस्याओं के समाधान के प्रति वचनबद्धता; बढ़े हुए रोजगार और गरीबी का उन्मूलन; कृषि में दूसरी हरित क्रांति; अवसंरचना विकास; राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और विनिर्माण क्षेत्र की बेहतर कार्यकुशलता।
- संतुलित मुद्रास्फीति, घटती हुई ब्याज की दरों और सुदृढ़ बाजार ने अर्थव्यवस्था को त्वरित अभिवृद्धि के मार्ग पर रखा है।
- वृहद् आर्थिक मौलिक सिद्धातों की मजबूती बनाए रखने पर ध्यान।

सुधार उपाय

अन्त्योदय अन्न योजना

- यह सुनिश्चित करते हुए कि जनजातीय राज्य, जिले अथवा बैल्ट इसमें अतिरिक्त आवंटन प्राप्त करें, गरीबी रेखा से नीचे के 50 लाख परिवारों की तुलना में अब 2 करोड़ परिवारों को इसमें शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

- बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल में प्रत्येक में एक-एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे छः नए अस्पताल।
- आंध्रप्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में एक मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर का बनाना।

ग्रामीण

- ग्रामीण भारत में किसानों व अन्य नागरिकों को आसान दरों पर समय पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की वचनबद्धता।
- बैकों से आग्रह किया जा रहा है कि कृषि के प्रयोजनार्थ मौजूदा दरों से कम दरों पर ऋण प्रदान करें।
- बैंक कृषि प्रयोजनों हेतु अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण जोत को प्रतिभूति के रूप में बंधक रखने हेतु दबाव डालते है। इसलिए अब बैकों को सलाह दी जा रही है कि वे परिपाटी के रूप में सम्पूर्ण जोत को बंधक रखने के जरिए अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर न दें।
- सभी पात्र किसान 31 मार्च, 2004 तक किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर लेंगे। व्यक्तिगत अनुरोध पर ए.टी.एम. मशीनों में प्रयोग के लिए विद्यमान किसान क्रेडिट कार्ड में संशोधन किया जाएगा।
- प्रायोगिक आधार पर 20 जिलों में शुरु की गई कृषि आय बीमा योजना का 100 जिलों तक विस्तार किया जाएगा।
- स्वयं-सहायता समूहों के लिए विशेष प्रोत्साहनकारी अभियान। पहले चरण में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक सघन कार्यक्रम चलाया जाएगा।

- *चायः* एक वर्ष की छूट अवधि के साथ पांच वर्षों में वापसी-अदायगी योग्य विशेष चाय आवधिक ऋण प्रदान किया जाएगा। एक ऋण सुधार योजना की व्यवहार्यता की जांच की जाएगी।
- *चीनीः* सभी शेयरधारकों से परामर्श कर एक पुनरोत्थान पैकेज तैयार किया जाएगा।
- सहकारी ऋण संरचना के पुनरोत्थान सम्बन्धी एक योजना तैयार कर ली गयी है जिस हेतु लगभग 15000 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया हैं और जिसकी हिस्सेदारी केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच होगी।

लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड

- सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने उन उधारकर्ताओं के सम्बन्ध में कार्ड की ऋण सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करेंगे जिनका पिछला रिकार्ड सन्तोषजनक रहा है। बैंकों को सलाह दी जा रही है कि वे संशोधित योजना को 1 मार्च, 2004 से लागू करें।

स्टाम्प शुल्क सुधार

- ऐसी सभी लिखतों पर स्टाम्प शुल्क को घटाने का निर्णय जहां दरों के निर्धारण का प्राधिकार केन्द्र सरकार के पास है।
- पहले उपाय के रूप में, मौजूदा स्टाम्प शुल्क संरचना को सभी केन्द्रीय सरकार के स्टाम्प लिखतों के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत तक घटाया जा रहा है। प्राप्तियों से सम्बद्ध शुल्क के लिए स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की प्रारंभिक सीमा को 500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाएगा।

विशेष क्षेत्र

द्वीप क्षेत्र

- मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर पर दुर्गम क्षेत्र भत्ता ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो निकोबार द्वीप समूह में तैनात हैं।
- मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु पोर्ट ब्लेयर के दर्जे को "सी" से बढ़ाकर "बी-1" श्रेणी कर दिया जाएगा।
- अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों तथा सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप का भी दर्जा मकान किराया भत्ता के प्रयोजन हेतु "अवर्गीकृत" से बढ़ाकर "सी" श्रेणी कर दिया जाएगा।
- मकान किराया भत्ता प्रयोजन हेतु गोवा का दर्जा बढ़ाकर "सी" से "बी-1" किया जा रहा है।

मरुस्थली क्षेत्र

- समेकित मरुस्थल क्षेत्र विकास के सम्बन्ध में एक कार्यबल का गठन किया जाएगा।
- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में नए सिरे से केन्द्र-राज्य पहल के माध्यम से तेजी लायी जाएगी जिसमें निधिपोषण की अतिरिक्त और नयी व्यवस्था भी शामिल है। वित्त मंत्रालय राजस्थान सरकार के साथ मिलकर नर्मदा नहर के राजस्थान में विस्तार हेतु कार्य करेगा।
- उत्पाद शुल्क से छूट के प्रयोजन हेतु गुजरात के कच्छ जिलों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2004 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2004 की जा रही है।

महानगरों में जल की कमी

- बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के लिए एक त्वरित पेय जल आपूर्ति योजना शुरू करने का निर्णय। महानगरों में अवसंरचना विकास के लिए मौजूदा केन्द्रीय योजना हेतु प्रावधान में अवसंरचना निधि, जीवन बीमा निगम और अन्य ऐसे निधिपोषण स्रोतों तक पहुंच बना कर बढ़ोत्तरी की जानी है।

कन्वेंशन सेंटर

- निजी-सरकारी भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तर के चार अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर दिल्ली और मुम्बई में तथा गोआ और राजस्थान प्रत्येक में एक-एक स्थापित किए जाएंगे।
- जयपुर हवाई अड्डे को एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित किया जाएगा ताकि जयपुर का कन्वेंशन सेंटर प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

विकास वित्त

- आईडीबीआई को एक अग्रणी विकासात्मक वित्त संस्था के रूप में निर्दिष्ट करने का निर्णय।
- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) का इसकी अनर्जक परिसम्पत्तियों का एक परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी में अन्तरण करके और सरकारी क्षेत्र के एक बड़े बैंक के साथ इसका विलय करके पुनर्गठन किया जाएगा।

अन्य योजनाएं

- कृषि अवसंरचना और ऋण निधि (जिसे 'लोकनायक जयप्रकाश नारायण निधि' कहा जाएगा), लघु और मझोले उद्यम निधि और औद्योगिक अवसंरचना निधि जिसे शीघ्र ही प्रचालित किया जाएगा, अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी दरों पर ऋण उपलब्ध कराएंगे जिसके उच्चतम उधार दर (पीएलआर) से 2 प्रतिशत बिन्दु कम होने की आशा है।

रक्षा आधुनिकीकरण निधि

- नए वित्तीय वर्ष से 25,000 करोड़ रुपए की राशि वाली, एक अव्यपगत, रक्षा आधुनिकीकरण निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

कर्मचारी कल्याण

- 1 अप्रैल, 2004 से, वेतन के 50 प्रतिशत तक के मंहगाई भत्ते का मूल वेतन के साथ विलयन कर दिया जाएगा।

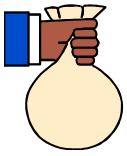

प्रत्यक्ष कर

- विद्युत क्षेत्र की नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध राजकोषीय लाभों को 2006 की बजाय 2012 तक के लिए बढ़ाया जाना चाहिए तथा ये लाभ राज्य बिजली बोर्डों से अपने अधिकार में लिए गए (टेक ओवर) मामलों के लिए भी प्रदान किए जाने चाहिए।
- 1 मार्च, 2003 को अथवा उसके पश्चात् अधिग्रहित सूचीगत इक्विटी, जिन्हें दीर्घावधिक पूंजीगत लाभ कर से छूट प्राप्त है, संबंधी व्यवस्था को और तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

- इस दृष्टि से कि भारतीय नौवहन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का मुकाबला कर सके, निवल पंजीकृत टनभार के आधार पर, निर्धारित दर पर कल्पित आय वाली, एक टनभार योजना पर विचार किया जाना चाहिए।
- कृषि भूमि के अधिग्रहण में संबंधित पूंजीगत लाभ कर से मुक्त होने चाहिएं। ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए वर्धित मुआवजे पर अर्जित ब्याज के मामले में भी स्रोत पर कर की कटौती नहीं होनी चाहिए।
- यदि विदेशी स्रोत (आउट सोर्स) वाली सेवाएं अनुषंगी और सहायक किस्म की हैं तथा भारतीय काल सेंटरों को पर्याप्त पारिश्रमिक की अदायगी की जाती है तो भारत में अपना आउटसोर्स कार्य करने वाली ऐसी विदेशी कंपनी पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा।
- वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती, युद्ध में मारे गए शहीदों की विधवाओं की परिवार पेंशन पर कर तथा छूट संबंधी वर्तमान सीमाओं जैसे मुद्दों पर पुनःविचार करने की आवश्यकता है।

अप्रत्यक्ष कर

- ***पूंजीगत सामानः*** वित्त मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस सुझाव पर विचार करेगा कि यदि किसी आयातित पूंजीगत सामान पर प्रतिकारी शुल्क से छूट दी गई है तो स्वदेश में निर्मित उसी पूंजीगत वस्तु को भी समतुल्य निर्यात लाभ प्रदान किए जाने चाहिएं।
- ***विद्युतः*** विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के अंतर्गत लाइसेंसशुदा यूनिटों के लिए अवशिष्ट ईंधन तेल पर उत्पाद शुल्क से पूर्व-व्यापी प्रभाव से छूट के लिए एक उपयुक्त विधायी उपाय पर विचार किया जाना चाहिए।
- ***सामान नियामावलीः*** निशुल्क सामान छूट को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। ऐसे सामान पर सीमाशुल्क को तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत से घटा कर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

प्रयोक्ता अनुकूल कर प्रशासन

- सामान की निकासी हेतु सीमाशुल्क दस्तावेजों की इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग सुविधा 31 मार्च, 2004 तक 23 सीमाशुल्कों केन्द्रों पर प्रदान कर दी जाएगी।
- 30 जून, 2004 से सीमाशुल्क निकासी स्वमूल्याकंन तथा चुनिंदा परीक्षण पर आधारित होगी।
- उत्पाद-शुल्क लगाने के लिए, 30 सितम्बर, 2004 तक एक 8-अंकीय सामान कूट वर्गीकरण को अपनाया जाएगा।
- विवादों के शीघ्र निपटान हेतु संघ उत्पाद-शुल्क नियमावली के अंतर्गत अपराधों का प्रशमन 30 जून, 2004 से आंरभ किया जाएगा।
- 30 जून, 2004 से उत्पाद-शुल्क विवरणियों की ई-फाइलिंग प्रणाली शुरू की जाएगी।

सेवा कर

- पंजीकरण की अनुमति प्रदान करने के लिए केवल एक सामान्य सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
- एक से अधिक कराधेय सेवा देने वाले मूल्यांकितियों के लिए एकल पंजीकरण और एकल विवरणी की व्यवस्था।
- विवरणियों की ई-फाइलिंग और इनकी इलैक्ट्रोनिक जांच का विस्तार सभी 58 कर योग्य सेवाओं तक करते हुए स्वचालन प्रणाली को बढ़ाया गया।

टिप्पणियां